BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 595/2022
(IA NO.423/2024)

SARITA SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT, UTTAR PRADESH IN COMPLIACE OF ORDER DATED 04.10.24.	
2.	A COPY OF THE NOTICE DATED 09.10.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R1.**	
3.	TRUE COPY OF LETTER NO 1573/RC-MAWANA/2024, DATED 5.11.2024 IS ANNEXED HEREIN AS **ANNEXURE R2.**	
4.	A COPY OF NOTICE DATED 25.112024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R3.**	
5.	A COPY OF NEWSPAPER CLIPPING OF THE AFOREMENTIONED OPERATION/INCIDENT AND PHOTOGRAPHS ARE ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R4.**	

6.	TRUE COPY OF THE AFFIDAVIT DATED 05.12.2024 IS ATTACHED HEREIN AS **ANNEXURE R5.**	
7.	COPY OF RECENT ORDER DATED 02.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE SUPREME COURT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE R6.**	

THROUGH

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P. (NGT)
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

DATE: 06.12.2024

PLACE: NEW DELHI

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 595/2022
(IA NO.423/2024)

SARITA SINGH

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

...RESPONDENT

AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT, UTTAR PRADESH IN COMPLIACE OF ORDER DATED 04.10.24.

I, Deepak Meena aged about 38 years, S/o Shri Ram Charan Meena, posted as District Magistrate of Meerut, do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, the District Magistrate of Meerut, Uttar Pradesh, am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear this affidavit. I affirm that this Affidavit is being filed by the Deponent in regards to the Original Application No. 595/2022.

2. At the outset, with utmost respect it is submitted that the deponent has the highest respect and regard to the order passed by the Hon'ble tribunal and duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and direction passed by this Hon'ble tribunal in true letters and spirit.

3. That the Original Application was registered under Suo-motu jurisdiction based on a letter petition dated 26.11.2022, submitted by Sarita Singh, Gram Pradhan of Nangla Gosai, Block Parikshitgarh, Tehsil Mawana,

District Meerut. The petition alleges encroachment on land within a lake and Wildlife Sanctuary in Nagla-Gosai, Block Parikshitgarh, Tehsil Mawana, District Meerut, asserting that such encroachment is causing substantial damage to the area's biodiversity, environmental integrity and ecological balance.

4. The Hon'ble Tribunal passed the following order dated 04.10.2024:

> *"...16. In these facts and circumstances, we do not find that there is any justification with District Magistrate not to ensure restoration of entire water body is its original shape. We, therefore, direct him to take appropriate steps and restore water body in question in its original state within two months..."*

OATH COMMISSIONER

5. That it is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that in compliance of Order dated 04.10.2024, the authorities have taken a serious note to the directions issued. In pursuance to the above- mentioned order issued by the Tribunal, the office of Tehsildar has issued a notice dated 09.10.2024 against the residents residing at Gata number 569 and 572, which is recorded as lake. As per the direction issued by the Hon'ble Tribunal, 15 days of time was given to the encroachers to remove encroachment, or the encroachment will be removed by the authorities by taking necessary actions against them.

   A copy of the notice dated 09.10.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R1.**

6. It is respectfully submitted that, through letter No. 1573/RC-Mawana/2024, dated 5.11.2024, issued from the office of the Tehsildar, Mawana, to Biplava Narayan, resident of Nagla Gussain, Tehsil Mawana, District Meerut. A strict warning and directions have been issued by the

Tehsildar to the Bengali residents in accordance with the order dated 04.10.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, directing the removal of the illegal encroachment from the lake land. The letter further stipulated that, in the event of non-compliance, stringent legal actions would be taken against the encroachers.

True copy of letter No 1573/RC-Mawana/2024, dated 5.11.2024 is annexed herein as **ANNEXURE R2.**

7. That additionally, subsequent to the aforementioned letter, letters dated 05.11.2024 and 11.11.2024 were further issued directing the encroachers to remove the encroachment from the catchment area of the lake in question, as per the direction issued by the Hon'ble Tribunal dated 04.10.2024.

8. That it is respectfully submitted that the encroachers have been made aware of the direction passed by the Hon'ble Tribunal. Furthermore, the authorities, apart from issuance of directions through the letters, have been holding meetings with the encroachers at intervals in order to resort the issue at present and comply with the directions issued by the Tribunal. In addition to the aforementioned measures taken by the authorities to address encroachments, the Court of Tehsildar Mawana has issued eviction orders and imposed fines on a total of 75 individuals. These orders, dated 26.10.2024, 29.10.2024, and 11.11.2024, pertain to the removal of encroachments from lake land under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006.

9. That it is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal, that during the meetings with the encroachers, pleas have been made by the encroachers

citing to their hardships and financial situations. Requests have been made by the encroachers for some further time to remove the encroachment and relocate at their own accord.

10. That pursuant to the pleas made by the encroachers, notice dated 25.11.2024 was issued by the Tehsildar, for compliance to the directions issued dated 04.10.2024, to the Bengali encroachers of the lake with reference to the previous letters dated 05.11.2024 and 11.11.2024. It is submitted that vide the aforesaid notice, 2 days further time was provided to the encroachers for removal of encroachment at their own accord. However, even after granting of additional time, the encroachers failed to comply with the directions of the notice issued by the Tehsildar.

OATH COMMISSIONER JAGPAL SINGH Advocate Imphal

A copy of notice dated 25.112024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R3.**

11. That pursuant to failure of compliance to the notice issued by the encroachers, subsequent to granting them with additional time, the operation for removal of illegal encroachment was conducted on 3.12.2024. However, the operation for removal was strongly hindered by the Bengali residents. For the removal of encroachment, the steps taken by the authorities included removal of the *kaccha/pakka* houses built on the encroached land using the JCB. Nevertheless, the measures taken by the authorities could not be fruitful as the residents were adamant on hindering the process by way of standing in front of the JCB so as to stop the process of removal. The females and the children present came and stood in front of the JCB in order to prevent the JCB to remove the *kaccha/pakka* houses on the encroached land. The operation caused a havoc for which the help of the Police department was also taken in order to maintain order and

control in the circumstances, nevertheless, the removal could not be carried out.

A copy of newspaper clipping of the aforementioned operation/incident and photographs are annexed herewith and marked as **ANNEXURE R4.**

12. That it is pertinent to mention that after the operation of removal of illegal encroachment conducted on 3.12.2024, the applicants have submitted an affidavit to the Sub-District Magistrate, District Meerut, and the appropriate authorities dated 05.12.2024, stating that their financial condition is very poor and that they have nowhere else to go due to the cold wave. Additionally, it was stated in the aforementioned affidavit dated 05.12.2024, that few of the encroachers have relocated from the encroached area at their own accord. Subsequently, they requested that the 40-year-old *kaccha/pakka* house may not be demolished until a final decision is made by the Supreme Court. Furthermore, they stated that the Bengali families are willing to vacate the disputed site without any protest or pressure.

True copy of the affidavit dated 05.12.2024 is attached herein as **ANNEXURE R5.**

13. That a further request by the encroachers, via the Affidavit dated 05.12.2024, was made that they may be granted some additional time to remove the encroachment voluntarily. The request made was in consonance of the Appeal made by the encroachers in the Hon'ble Supreme Court against the impugned Order dated 04.10.2024 passed by the Hon'ble Tribunal. The Appeal filed by the encroachers is pending before the

Hon'ble Supreme Court containing Special Leave to Appeal No. 28336/2024.

Copy of recent Order dated 02.12.2024 passed by the Hon'ble Supreme Court is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R6.**

14.The deponent respectfully submits that the matter is being considered by the appropriate authorities for shifting the above stated families so that the remaining area also may be encroachment free.

15.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

16. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ____________ on this ______ day of December, 2024, that the contents of the above response from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

7/12/2024

DEPONENT

Serial No. 92 ... 169 6422
Certified that Shri Deepak Meena
Identified by Shri Ankit (N.T.) manav
Made his ... before me
Singh Adv
6-12-2024.
Oath Commissioner

OATH COMMISSIONER
JAGRAJ SINGH
Advocate
Medha

कार्यालय तहसीलदार मवाना Anne-1

पत्राकं संख्या–864/आर0सी0–मवाना/2024–25 दिनांक–09.10.2024

–::नोटिस::–

समस्त बंगाली परिवार
ग्राम नंगला गोसाई
तहसीलद मवाना, मेरठ।

जैसा की विदित है कि ग्राम नंगला गौसाई तहसील मवाना जनपद मेरठ स्थित गाटा संख्या 569 व 572 जो झील के रूप में दर्ज अभिलेख है तथा इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में एक वाद ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाये जाने हेतु पूर्व में आदेशित किया गया था। पुनः मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक–04.10.2024 को सुनवाई करते हुए अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि झील की भूमि से अपना अतिक्रमण 15 दिन में स्वयं हटा ले अन्यथा आपके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा।

9.10.24
तहसीलदार
मवाना।

प्रतिलिपिः–
1– जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3– उप जिलाधिकारी मवाना महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषितं
4– नायब नाजिर तहसील मवाना कों इस आशय से प्रेषित कि स्थल पर चस्पा कराये जाने हेतु।

तहसीलदार
मवाना।

ANNEXURE 2

133

Anne-2

कार्यालय तहसीलदार मवाना

पत्रांक 573 /आर0सी0–मवाना/2024 दिनांक 5-11-24

काशी व कन्हैया

निवासी नंगला गौसाई,
तहसील मवाना, जनपद मेरठ

आप विदित है कि आपके द्वारा ग्राम नंगला गौसाई, तहसील मवाना जनपद मेरठ में झील के खसरा सं0 572 मि0 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में एक वाद ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विचाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधीकरण द्वारा झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आदेशित किया गया है। आपको पूर्व में भी झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु आप द्वारा झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण अभी तक नही हटाया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक दशा में तीन दिवस के अन्दर झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण को स्वयं हटा ले। अन्यथा अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

05.11.24

तहसीलदार
मवाना।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
3. उप जिलाधिकारी महोदय, मवाना को को सादर सूचनार्थ।
4. नायब नाजिर, तहसील मवाना को 2 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को आज ही तामील कराकरएक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

तहसीलदार
मवाना।

ANNEXURE 3

अनुस्मारक–2

कार्यालय तहसीलदार मवाना

Anne-3

पत्रांक संख्या–876/आर0सी0–मवाना/2024–25   361/75   दिनांक–25.11.2024

–::नोटिस::–

इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–42/आर0सी–मवाना/2024 दिनांक–06.11.2024, व पत्रांक संख्या 870/आर0सी0–मवाना/2024 दिनांक–11.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा झील के खसरा संख्या 569मि0 एंव 572मि0 पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिलली में एक वाद ओ0ए0 संख्या–595/2022 सरिता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 विचाराधीन है। मा0 राष्टीय हरित अधिकरण द्वारा झील की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। परन्तु आपके द्वारा झील की भूमि से अवैधअतिक्रमण अभी तक नही हटाया गया है।

क0स0	ग्राम का नाम	अतिक्रमणकर्ता का नाम/पिता	भूमि का प्रकार	खसरा संख्या	
1	नंगला गौसाई	निखिल पुत्र विनोद	झील	569मि0	पं०
2	नंगला गौसाई	दिलीप पुत्र साधू -5	झील	572मि0	सविता (माता)
3	नंगला गौसाई	शुसान्त पुत्र विजय	झील	572मि0	
4	नंगला गौसाई	प्रकाश पुत्र नरेश	झील	572मि0	माधुरी (माता)
5	नंगला गौसाई	दिलीप पुत्र (साधू) मेवालाल	झील	572मि0	
6	नंगला गौसाई	प्रशान्त पुत्र निर्मल	झील	569मि0	काजल (पत्नी)
7	नंगला गौसाई	मनोरजन एव मंजित पुत्रगण आशुतोष	झील	569मि0	पं०
8	नंगला गौसाई	कौशिक पुत्र कुंजो	झील	569मि0	
9	नंगला गौसाई	मधु पत्नी परितोश	झील	569मि0	
10	नंगला गौसाई	अर्जुन पुत्र गोपाल	झील	569मि0	
11	नंगला गौसाई	शपन पुत्र भूपेन्द्र	झील	569मि0	सुनीता (पत्नी)
12	नंगला गौसाई	श्रीमति अनिता पत्नी अभिमन्यु	झील	569मि0	अनीता
13	नंगला गौसाई	(सतीश) पुत्र अभिमन्यु	झील	569मि0	
14	नंगला गौसाई	साधूराम पुत्र शतन	झील	572मि0	सविता (पत्नी)
15	नंगला गौसाई	राकेश पुत्र रवि	झील	569मि0	खुशी (पुत्री)
16	नंगला गौसाई	माईकल पुत्र धीरेन्द्र मण्डल	झील	572मि0	लतिका (पुत्री)
17	नंगला गौसाई	मधु पत्नी रामदेव	झील	569मि0	
18	नंगला गौसाई	सन्तोष पुत्र दिगम्बर	झील	569मि0	कमला (पत्नी)
19	नंगला गौसाई	राममण्डल पुत्र निर्मल	झील	572मि0	नीलिमा (पुत्री)

		मण्डल			
20	नंगला गौसाई	सुभाष पुत्र जनमनजय	झील	572मि0	सुभाष
21	नंगला गौसाई	शुशान्त पुत्र विजय	झील	572मि0	
22	नंगला गौसाई	दिवाकर पुत्र विजय	झील	572मि0	दिवाकर
23	नंगला गौसाई	शंकर पुत्र श्रीधाम	झील	572मि0	निमती (पाली)
24	नंगला गौसाई	मंगल पुत्र मुकन्द	झील	572मि0	चं०
25	नंगला गौसाई	रामप्रसाद पुत्र लेखराज	झील	572मि0	फूलमती (पत्नि)
26	नंगला गौसाई	मघयी पुत्र अभिमन्यु	झील	572मि0	मघयी
27	नंगला गौसाई	किशन पुत्र उपेन्द्र	झील	572मि0	किशन
28	नंगला गौसाई	उमेन्द्र पुत्र अतुल	झील	572मि0	काम चं०
29	नंगला गौसाई	कन्हैया पुत्र विनोद	झील	572मि0	चं०
30	नंगला गौसाई	गोला पुत्र भगीरथ	झील	572मि0	चं०
31	नंगला गौसाई	विश्वजीत पुत्र नरायण	झील	572मि0	विश्वजीत
32	नंगला गौसाई	साधुराम पुत्र शतन	झील	572मि0	सविता (पत्नि)
33	नंगला गौसाई	किशन पुत्र बन्शाराम	झील	572मि0	चं०
34	नंगला गौसाई	रामपद पुत्र ~~नरेश~~ परेश	झील	572मि0	रामपद
35	नंगला गौसाई	बिपलव पुत्र नरायण	झील	572मि0	बिपुला
36	नंगला गौसाई	काशी पुत्र कन्हैया	झील	572मि0	सुनीता राय (पुत्री)
37	नंगला गौसाई	दिलीप पुत्र शिवपद	झील	572मि0	काम चं०
38	नंगला गौसाई	कमलेश पुत्र नरायण	झील	572मि0	कमलेश
39	नंगला गौसाई	हरिपद पुत्र उपेन्द्र	झील	572मि0	हरिपद
40	नंगला गौसाई	नैनी गोपाल पुत्र जलधर	झील	572मि0	नैनीगोपाल
41	नंगला गौसाई	रवि पुत्र सन्तोष	झील	572मि0	बाहर
42	नंगला गौसाई	प्रसाद मण्डल पुत्र भगीरत	झील	572मि0	चं०
43	नंगला गौसाई	शुभरतन पुत्र नरायण	झील	572मि0	शुभरतन
44	नंगला गौसाई	प्रदीप पुत्र मनोहर	झील	572मि0	काजल (पुत्रवधु)
45	नंगला गौसाई	रमेश पुत्र वावूराम	झील	569मि0	शालु (पुत्री)
46	नंगला गौसाई	लक्ष्मण पुत्र वावूराम	झील	569मि0	संजय (पुत्र)

47	नंगला गौसाई	रविन्द्र पुत्र जलधर	झील	569मि0	
48	नंगला गौसाई	रमेन पुत्र रामचन्द्र	झील	569मि0	
49	नंगला गौसाई	बलराम पुत्र निरंजन	झील	569मि0	बलराम
50	नंगला गौसाई	श्रीमति सुमित पत्नी विरेन	झील	569मि0	
51	नंगला गौसाई	रिषीपाल पुत्र विशम्बर	झील	569मि0	
52	नंगला गौसाई	कार्तिक पुत्र निलकमल	झील	569मि0	
53	नंगला गौसाई	हरिपद पुत्र प्राण	झील	569मि0	
54	नंगला गौसाई	रिपेन पुत्र भारत	झील	569मि0	रीपन
55	नंगला गौसाई	शुपद पुत्र चण्डीचरण	झील	569मि0	
56	नंगला गौसाई	निरंजन पुत्र कंगल	झील	569मि0	
57	नंगला गौसाई	गोविन्दा पुत्र तारापद	झील	569मि0	
58	नंगला गौसाई	श्रीमति उमा पत्नी लालू	झील	569मि0	
59	नंगला गौसाई	रघु पुत्र शुसेन	झील	569मि0	
60	नंगला गौसाई	विधान पुत्र भरत	झील	569मि0	रीपन
61	नंगला गौसाई	हर्षित पुत्र मेघनाथ	झील	569मि0	
62	नंगला गौसाई	हरिपद पुत्र प्राण	झील	569मि0	
63	नंगला गौसाई	जयदीप व प्रवीण पुत्रगण नैपाल	झील	569मि0	
64	नंगला गौसाई	सुभाष पुत्र सुरेन्द्र	झील	569मि0	सुभाष
65	नंगला गौसाई	पंकज पुत्र कनेन्द्र विश्वास	झील	569मि0	
66	नंगला गौसाई	शपन पुत्र बेल	झील	569मि0	
67	नंगला गौसाई	सरजीत व विश्वजीत पुत्रगण विश्वास	झील	569मि0	
68	नंगला गौसाई	सन्तोष पुत्र जसवन्त	झील	569मि0	
69	नंगला गौसाई	तारक पुत्र दिवेन्द्र	झील	569मि0	
70	नंगला गौसाई	श्रीमति पददा पत्नी रामकिशन	झील	569मि0	
71	नंगला गौसाई	रतन पुत्र नन्दराम	झील	569मि0	रतन
72	नंगला गौसाई	राकेश पुत्र सुभाष	झील	569मि0	
73	नंगला गौसाई	पंकज पुत्र नरायण	झील	569मि0	

74	नंगला गौसाई	आन्नद राम पुत्र जगदीश राम	झील	569मि0	आनन्द राम
75	नंगला गौसाई	सुभाष पुत्र हरेन्द्र	झील	569मि0	सुभा0

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अन्दर झील की भूमि पर से अवैध अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। अन्यथा अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

तहसीलदार
मवाना।

प्रतिलिपिः—

1— जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3— उप जिलाधिकारी मवाना महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषितं
4— नायब नाजिर तहसील मवाना को 2 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित को आज ही तामील कराकर एक प्रति इस न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

23.11.24

तहसीलदार
मवाना।

दिनांक 4 December ..., 4 दिसंबर, 2024 Anne-4

मेरठ जागरण

झील से अवैध निर्माण हटाने गई राजस्व टीम का कड़ा विरोध, ग्रामीणों का हंगामा

एसडीएम की अगुवाई में नंगला गोसाई दो बुलडोजर लेकर गई थी राजस्व विभाग व पुलिस टीम

नोटिस के वावजूद भी नहीं हटाया अवैध निर्माण, बुलडोजर के आगे लेटीं महिलाएं

जागरण संवाददाता, मवाना : तहसील क्षेत्र के नंगला गोसाई गांव में झील में दर्ज 71 हेक्टेयर जमीन से कब्जा व अवैध निर्मांण हटाने में राजस्व विभाग के पसीने छूट रहे हैं। मंगलवार दोपहर एनजीटी के आदेश पर एसडीएम की अगुवाई में राजस्व विभाग अधिकारी व पुलिस फोर्स दो बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण हटाने पहुंचीं। चार झोपड़ी व बाड़ा ही हटाया था कि विरोध शुरू हो गया। महिलाएं बुलडोजर के आगे लेट गईं। विरोध जता रहे लोगों के समर्थन में भाकियू टिकैत के लोग भी पहुंच गए। इससे हंगामा हो गया। जमकर तकरार हुई। चार घंटे चली मशक्कत के वाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो खुद निर्मांण हटाने का अल्टीमेटम देकर पुलिस व राजस्व अधिकारी लौट गए।

नंगला गोसाई के मजरा अमरगढ़ में ग्राम पंचायत की खसरा संख्या 569/ 572 में 71 हेक्टेयर जमीन तराई क्षेत्र झील के रूप में दर्ज हैं। यहां 107 बंगाली परिवारों ने 69 हेक्टेयर में खेती व 1.95 हेक्टेयर में आवादी के कच्चे-पक्के मकान व झोपड़ियां बनी ली हैं। तहसील प्रशासन ने 69 हेक्टेयर जमीन पर अगस्त माह में अवैध निर्मांण हटाने का दावा किया था। 1.95 हेक्टेयर जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटा पाए थे। इस मामले में एनजीटी दिल्ली यानि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में प्रधान सरिता वनाम सरकार का मामला विचाराधीन है। गत दिवस बढ़ते प्रदूषण पर एनजीटी सख्त हुई तो राजस्व विभाग मवाना को कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए थे। इससे पूर्व तहसीलदार रणविजय सिंह ने अवैध कब्जाधारियों को नोटिस देकर निर्मांण हटाने का निर्देश दिया था। किसी ने कब्जा नहीं हटाया। मंगलवार दोपहर एसडीएम अंकित कुमार की अगुवाई में तहसीलदार, नायव तहसीलदार, सीओ मवाना अभिषेक पटेल, सीओ सदर देहात नवीन शुक्ला और मवाना थाना प्रभारी राजेश कंबोज, वहसूमा एसओ इंदु वर्मा, परीक्षितगढ़ एसओ दिनेश प्रतापसिंह, भावनपुर, किठौर पुलिस फोर्स, बुलडोजर के साथ पहुंचे। टीम ने दीप्ति, निखिल, नितेश की झोपड़ी व बाड़े से कब्जा हटाया था। इसी दौरान महिलाएं व पुरुष एकत्र होकर विरोध में उतर गए। महिलाएं बुलडोजर के आगे लेट गईं। कई वार महिला पुलिसकर्मियों से उनकी धक्का मुक्की हुई। महिलाएं आगे से नहीं हटी। करीब पांच बजे तक हंगामा चलता रहा। इस बीच भाकियू टिकैत के एनसीआर महासचिव नरेश चौधरी, हर्ष चहल समेत काफी संख्या में लोग पहुंच गए और बुलडोजर चलाने का विरोध किया। उन्होंने हंगामा किया। अधिकारियों से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। बुलडोजर आगे नहीं बढ़े तो एसडीएम अंकित कुमार ने अनाउंस कर खुद हो निर्मांण हटाने के निर्देश देते हुए सभी को चार दिन का समय दिया।

इसके साथ ही टीम वैरंग वापस लौट आई। ग्राम प्रधान सरिता सिंह ने बताया कि नंगला गोसाई सेंक्चुरी की झील व ग्राम समाज की करीब एक हजार बीघा जमीन पर बंगाली समाज के लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बंगाली परिवार के लोग सरकारी भूमि पर फसल भी उगाते हैं।

अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर के आगे लेटी महिला • जागरण

कार्रवाई के दौरान महिला को झोपड़ी से निकालती महिला पुलिसकर्मी • जागरण

नंगला गोसाई में झोपडी को गिराती जेसीवी • जागरण

> 1.95 हेक्टेयर जमीन पर बंगाली समाज के 107 परिवार अवैध रूप से कच्चा पक्का निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण हटाने के लिए तीन बार नोटिस भी भेजा गया है। उन्हें कब्जा नहीं हटाया। अवैध निर्माण हटाने गए तो महिलाओं ने हंगामा किया और बुलडोजर के आगे लेट गई। ला-एंड-आर्डर की समस्या खडी हो गई। जिसके चलते ही अवैध निर्मांण हटाने के आदेश कर टीम वापस लौट आई। अगर तय समय मे कब्जा नही हटाया जाता है तो टीम दोबारा जाकर सख्ती से अवैध निर्मांण हटाएगी।
>
> अंकित कुमार, एसडीएम मवाना

रस्म पगड़ी

अत्यंत दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे प्रिय प्रताप सिंह (पुत्र स्व. सत्यपाल वर्मा) जी का स्वर्गवास 30.11.2024 को हो गया है। प्रभु की ऐसी ही इच्छा थी।

उनकी रस्म पगड़ी दिनाँक 04 दिसम्बर 2024 दिन बुधवार को होनी निश्चित हुई है।

हवन– प्रातः 8 बजे, रस्म पगड़ी– दोपहर 12 बजे
स्थल: ग्राम सिरोड़ा, निकट पिलाना भट्टा–टिकौली [illegible] रोड, बागपत

शोकाकुल परिवार
श्रीमती [illegible] सिंह (पत्नी)
[illegible] प्रताप सिंह (पुत्र)
[illegible] सिंह (पुत्री)
श्रीमती सावित्री देवी (माता जी)
प्रदीप सिंह (भाई)
संपर्क: [illegible]
एवं समस्त परिवार

गंगा [illegible]

मेरठ-बाग[illegible]

जागरण संवाददाता, की तैयारियां जोरशो जिला प्रशासन से नियंत्रण अधिकारी तैयारियों में जुट गए में शुरू होने वाले कुं से करोड़ों श्रद्धालु गं आते हैं, इसलिए की तरह इस बार नोटिस भेजे हैं, ज करते हैं। उनका ग जाता है। शासन के उत्तर प्रदेश प्रदूषण क्षेत्रीय अधिकारी ने की 54 फैक्ट्रियों क कि वह गंदा पानी गं सके तो कुंभ मेले को बंद रखें।

कोठी कब्जाने आरोपितों की होगी अटैच

जागरण संवाददा शास्त्रीनगर सेक्टर- कब्जे को लेकर हुई व फायरिंग के आरोपितों पर अब करने की तैयारी कर में शामिल अमित नौचंदी पुलिस पहले रूप में पंजीकृत क इनके खिलाफ गैंग की तैयारी है। शास स्थित बलवीर सिंह 7 पर उनके बेटे शैलेन्द्र कुमार के रहा है। शैलेन्द्र ने ओर को वेच दी थी

एसएसपी डा. बताया कि अमित गैंग से जुड़े सदस गैंगस्टर में निरुद्ध वि

दौराला

- सिवाया टोल प्ला के लिए इस माग वाहन चालक
- दौराला से मसूरी जूझते रहे लोग पुलिस के छूट प

संवाद सूत्र, जागरण टोल प्लाजा से दौराला-मसूरी मार्ग [illegible]

दिनांक 4 December   Anne-4

थानाध्यक्ष रामप्रकाश शर्मा ने भाकियू कार्यकर्ताओं को धरना समाप्त करने के लिए समझाया परंतु वे नहीं माने। इस मौके पर मोहित पोसवाल, नवीन यादव, जज सिंह, मालक सिंह, लक्की कलेर, विपिन गुर्जर, राहुल थाना प्रभारी इंदु वर्मा को ज्ञापन देने के बाद धरना समाप्त कर दिया। धरने पर मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष उदयवीर सिंह, कपिल प्रधान, नीटू चौधरी, विकास लांबा, अशोक अहलावत, विरेंद्र चहल, प्रदीप कुमार, ब्रजवीर दिनेशपाल को ज्ञापन दिया गया। यहां धरने पर सुनील कालखंडे, परविंद्र मलिक, हरेंद्र तोमर, जगमोहन सिंह, विरेंद्र, संजय सिंह, कुशलपाल आदि थे। यहीं थाना परीक्षितगढ़ में भी भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।

जिस पर शिक्षिका घबराहट में बेहोश होकर स्कूल परिसर में ही गिर गई थी। इसके बाद बीएसए आशा चौधरी ने जांच कराकर देर शाम प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया था। इस मामले में सहायक

एनजीटी के आदेश का होगा पालन, खाली करनी होगी नगला गोसाई में झील की भूमि

71 हेक्टेयर झील की भूमि से अवैध निर्माण हटाने गई राजस्व विभाग टीम को झेलना पड़ा था विरोध

जागरण संवाददाता, मवाना: एसडीएम ने बुधवार को नंगला गोसाई के बंगाली परिवार के लोगों से तहसील सभागार में वार्ता की और दो टूक शब्दों ने कहा कि हमें न्यायालय के आदेश का हर हाल में पालन करना है, लिहाजा स्वयं ही तयशुदा शेष समयावधि में अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। जबकि बंगाली परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें अन्य कहीं सरकारी जगह पर रहने की व्यवस्था कराएं, ताकि वह अपने परिवारों का गुजर बसर कर सकें। अन्य जगह आवास सुविधा नहीं मिलने पर वह जस के तस रहेंगे।

तहसील क्षेत्र अंतर्गत नगला गोसाई गांव स्थित झील में दर्ज 71 हेक्टेयर जमीन से कब्जा व अवैध निर्माण हटाना राजस्व विभाग के गले की फांस बन गया है। मंगलवार दोपहर एनजीटी के आदेश पर एसडीएम की अगवाई में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल समेत दो बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण हटाने गई थी, लेकिन तीन झोपड़ी व बाड़ा हटाया ही था कि महिला-पुरुषों ने विरोध शुरू कर दिया था। वहीं, भाकियू टिकैत के एनसीआर के महासचिव नरेश चौधरी व हर्ष चहल ने कार्यकर्ताओं समेत पहुंचकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया था। जिस पर एसडीएम अंकित कुमार बंगाली परिवारों को चार दिन का समय स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए दिया था और चेताया था कि दी गई समयावधि में स्वेच्छा से अतिक्रमण नही हटाने पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाएगा। इसके पश्चात टीम लौट आई थी।

मवाना तहसील सभागार में बंगाली परिवार के लोगों से वार्ता करते एसडीएम • जागरण

बुधवार को एसडीम अंकित कुमार ने तहसील सभागार में बंगाली परिवार के लोगों से वार्ता की और न्यायालय के आदेशों के पालन का हवाले देते हुए कहा कि या तो बंगाली परिवार के लोग शेष समयावधि में अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लें, अन्यथा प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगा। जबकि बंगाली समाज से रोबिन, लक्ष्मण सिंह, रविंद्र राय व विष्णु ने कहा कि बंगाली परिवारों के आशियाने उजाड़ने से पहले अन्य सरकारी जमीन पर इन परिवारों को रहने की व्यवस्था कराई जाए। इसके बाद एसडीएम बंगाली परिवार के लोगों से कुछ देर सोचने का समय देकर अपने आवास पर चले गए और कुछ देर बाद रविंद्र व लक्ष्मण सिंह को अपने आवास पर बुलाया और अपना अल्टीमेटम दोहराया। कुल मिलाकर वार्ता विफल रही। कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर नंगला गोसाई के लोग लौट गए।

तहसील सभागार में वार्ता में एसडीएम के अलावा सीओ अभिषेक पटेल, तहसीलदार रणविजय सिंह, नायब तहसीलदार अंकित तोमर, थाना प्रभारी राजेश काम्बोज तथा बंगाली परिवार के लोगों में अजय विपुल, रविंद्र, विश्वजीत, अजय, सादन, रविंद्र राय, लक्ष्मण आदि थे।

अमरगढ़ में कार्यवाही के बाद हस्तिनापुर में हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण . हस्तिनापुर: एनजीटी के निर्देश के बाद नगला गोसाई ग्राम पंचायत के मजरे अमरगढ में झील की जमीन को खाली करने को लेकर की गई राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद हस्तिनापुर क्षेत्र में भी भू माफियाओ में हड़कंप कम मच गया है। चूंकि हस्तिनापुर से भी बूढ़ी गंगा व सैक्चुअरी मे अवैध निर्माण को लेकर दो मामले एनजीटी में विचाराधीन है। मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम ने एनजीटी के निर्देश के चलते है अमरगढ मे कई लोगों की झोपड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। इस दौरान उन्हे विरोध का भी सामना करना पड़ा इसके बाद प्रशासन द्वारा उन्हें दो दिन का समय दिया गया।

हस्तिनापुर में भी बूढ़ी गंगा को लेकर लगभग 1 वर्ष से मामला एनजीटी में विचाराधीन है। एनजीटी ने भी बूढ़ी गंगा को गंगा की सहायक नदी का दर्जा दिया है। हाल ही में एनआईएच रुड़की के विशेषज्ञों ने भी बूढ़ी का निरीक्षण किया है। इसके अलावा सैक्चुअरी में अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर भी एक व्यक्ति द्वारा एनजीटी में याचिका दायर की गई है।

क्षणभर में त्याग दिया राज वैभव, धारण की जिनदीक्षा

षष्टम् पुण्यतिथि
अश्रुपूरित भावभीनी श्रद्धांज
आपने सबको दिया प्यार, आपकी स्मृतियां हैं
आपके कार्य प्रेरणा हैं हमारी, आपका व्यवहार है

Anne-4 3December

Anne- 4 3 December

Anne-4 3 December

Anne-4 3 December

Anne-4 30 December

Anne-4   3 December

Annex- 3 December

Anne 4 - 3 December

Anne– 5

सेवा में,

श्रीमान उप जिलाधिकारी
तहसील मवाना जनपद मेरठ।

विषयः– ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना जनपद मेरठ में स्थित बंगाली परिवारों को वर्तमान में न हटाकर समय प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निवेदन करना है कि हम समस्त बंगाली परिवार बांग्लादेश के विभाजन के समय से ग्राम नंगला गौसाई जनपद मेरठ में शरणार्थी है। तत्समय समय से ही अपने सामर्थ के अनुसार ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना मेरठ में कच्चे/पक्के मकान एवं झोपडियॉ बनाकर निवास करते चले आ रहे है तथा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन–पोषण करते आ रहे थें हमारे पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नही है। ग्राम नंगला गौसाई तहसील मवाना जनपद मेरठ में स्थित झील पर अवैध कब्जे के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद सं0–595/2022 सरिता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश दिनांक 04.10.2024 पारित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 के विरूद्व हम समस्त बंगाली परिवारों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में वाद सं0–28336/2024 रमन राय आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका दाखिल की गयी है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2024 नियत थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पारित आदेश में प्रतिवादी को नोटिस निर्गत किये गये है। उक्त वाद में प्रतिवादी को अपना पक्ष दाखिल करने हेतु 02 सप्ताह का समय दिया गया है। हमारी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रत्येक परिवार में छोटे–छोटे बच्चे एवं वृद्व महिलायें है एवं वर्तमान में शीतलहर चल रही है ऐसी स्थिति में हमारे परिवारों को बल पूर्वक उक्त स्थान से न हटाया जाए। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही से हम बंगाली परिवारों में से कुछ द्वारा अन्यत्र स्थान पर रहने की व्यवस्था कर ली गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का सम्मान करते है एवं हम समस्त बंगाली परिवार बिना किसी विरोध/दबाव के उक्त विवादित स्थल को छोड़ने के लिए स्वयं ही तैयार है, किन्तु महोदय से इतना अनुरोध है कि हमारे द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाये गये कच्चे/पक्के मकानों को तब तक ध्वस्त न किया जा जब तक मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित न हो जाए। हम समस्त बंगाली परिवार आपके सदैव आभारी रहेगें।

दिनांक :

संलग्नक :– शपथ–पत्र मूलरूप में।

रमन राय
प्रार्थीगण

बिपल मण्डल
(बिपन S/0 दीपक)

रमनराय पुत्र रामचन्द्र व समस्त बंगाली परिवार
ग्राम नंगला गौसाई तहसील मवाना
जिला मेरठ।

बलराम
9837181613

बिरब जीत
(बिश्वजीत S/0 नारायण) 7351249092

तिलार (बिलासS/0 विधान) 9389192942

आकाश
S/0
(अक्षय S/0 तारक)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Ashok Kumar Advocate R.No. 1(24) 2008 Mawana (M.) GOVT. OF U.P.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CM 807883

सेवा में,

समस्त सक्षम अधिकारी

महोदय,

शपथ–पत्र ओर से समस्त बंगाली परिवार ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना मेरठ निम्न प्रकार हैः–

1– यह कि हम समस्त बंगाली परिवार बांग्लादेश के समय से ग्राम नंगला गौसाई जनपद मेरठ में शरणार्थी है।

2– यह कि हम समस्त बंगाली परिवारों द्वारा अपने सामर्थ के अनुसार ग्राम नंगला गौसाई परगना किठौर तहसील मवाना मेरठ में स्थायी अथवा अस्थायी मकान बनाये हुए है तथा ग्राम के अन्तर्गत रिक्त झील की भूमि पर खेती/मजदूरी करके अपने परिवारों का पालन–पोषण करते आ रहे थें इसके अतिरिक्त हमारे पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नही है।

3– यह कि ग्राम नंगला गौसाई तहसील मवाना जनपद मेरठ स्थित झील पर अवैध कब्जे के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद सं0–595/2022 सरिता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य विचाराधीन है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा बेदखली के आदेश दिनांक 04.10.2024 पारित किया गया है।

बलराम विश्वजीत रमेन राय

क्रमश : .....2 पर

4– यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2024 के विरुद्ध हम समस्त बंगाली परिवारों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में वाद सं0–28336/2024 रमन राय आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका दाखिल की गयी है। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2024 नियत थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2024 को पारित आदेश में प्रतिवादी को नोटिस निर्गत किये गये है। उक्त वाद में प्रतिवादी को अपना पक्ष दाखिल करने हेतु 02 सप्ताह का समय दिया गया है। हमारी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अधिकांश परिवार उक्त विवादित भूमि पर कच्चे/पक्के मकान एवं झोपडियॉ वनाकर निवास कर रहे है। प्रत्येक परिवार में छोटे–छोटे बच्चे एवं वृद्ध महिलायें है एवं वर्तमान में शीतलहर चल रही है ऐसी स्थिति में हमारे परिवारों को बल पूर्वक उक्त स्थान से न हटाया जाए। प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही से हम बंगाली परिवारों में से कुछ द्वारा अन्यत्र रहने की व्यवस्था कर ली गयी है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का सम्मान करते है एवं हम विना किसी विरोध/दबाव के उक्त विवादित स्थल को छोडने के लिए स्वयं ही तैयार है।

5– यह कि क्रम सं0 01 ता0 04 तक में उल्लिखित समस्त कथन सत्य है एवं हमारे निजी संज्ञान में है।

दिनांकः

अजय (अजय S/o तारक) बलराम (बलराम S/o निरंजन) रमेन राय

प्रार्थीगण

विश्वजीत (विश्वजीत S/o नारायण)

रमनराय पुत्र रामचन्दर व समस्त बंगाली परिवार
ग्राम नंगला गौसाई तहसील मवाना
जिला मेरठ।

विवेक मण्डल (विवेक S/o हरिपद) विलास (विलास S/o विधान)

NOTARY Ashok Kumar Advocate Mawana GOVT. OF U.P.

ATTESTED
05/12/24
Ashok Kumar
Advocate
Public Notary
Mawana (Meerut)

ANNEXURE 6

ITEM NO.39 COURT NO.13 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Anne-8

Petition(s) for Special Leave to Appeal (C) No(s). 28336/2024

[Arising out of impugned final judgment and order dated 04-10-2024 in IA No. 423/2024 passed by the National Green Tribunal]

RAMAN ROY & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

THE STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. Respondent(s)

IA No. 274832/2024 - EXEMPTION FROM FILING O.T.

Date : 02-12-2024 This matter was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA
HON'BLE MR. JUSTICE MANOJ MISRA

For Petitioner(s) Mr. Yatindra Singh, Sr. Adv.
Mr. Vibhav Mishra, AOR
Ms. Megha Gaur, Adv.
Mr. Ashutosh Mishra, Adv.

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

1. Issue notice returnable in two weeks.

2. Dasti, in addition, is permitted.

(KAPIL TANDON)
COURT MASTER (SH)

(NIDHI WASON)
COURT MASTER (NSH)

Validity unknown
Digitally signed by KAPIL TANDON
Reason: